न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2022/00358)

1. जगदीश पुत्र जयनारायण,
2. राजू पुत्र अर्जुन,
3. मिश्री पत्नी अर्जुन, समस्त जाति स्वामी, निवासी ढाणी आनाकावाली ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र प्रभात,
2. बिडदूदास पुत्र देवादास, जाति स्वामी निवासी भूरी भड़ाज, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

––मुख्य रेस्पोडेन्ट्स

3. तहसीलदार पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
4. छगन लाल पुत्र प्रभात,
5. भागीरथ पुत्र प्रभात,
6. लच्छाराम पुत्र प्रभात,
7. हरकोरी पत्नी प्रभात,
8. देवेन्द्र पुत्र बिडदूराम, समस्त जाति स्वामी, निवासी भूरी भडाज, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री बंशीधर जाट, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री पंकज चौधरी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं 4 लगायत 8 की ओर से

दिनांकः 07.10.2025

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2022 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2022 को प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम भूरी भडाज तहसील पावटा जिला जयपुर के खसरा नम्बर 2528 रकबा 1.49 हैक्टयर आराजीयात के प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के लगवा अन्य खातेदारों की भूमि है, जो प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजीयात की डोल आदि तोड़ते है, फसल नष्ट करते है। इस कारण उक्त भूमि की पत्थरगढी करवायी जानी आवश्यक है। दिनांक 12.05.2022 को भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.05.2022 नियत की गई। दिनांक 31.05.2022 को कोई उपस्थित नही आया, जिस पर आगामी पेशी दिनांक 09.06.2022 दी गई। दिनांक 09.06.2022 को पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ तथा तरतीबी अप्रार्थीगण से कोई रिलिफ नही चाही गयी उल्लेख करते हुये विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2022 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनांक 12.05.2022 को किसी प्रकार का सीमाज्ञान नही करवाया गया बल्कि अपीलान्ट द्वारा थाना प्रागपुरा मे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिनांक 07.05.2022 को मेरी खड़ी फसल की सीमाओं में आकर, जिस पर मेरे द्वारा तारबंदी कर रखी है, कुछ लोगों ने तारबंदी उखाड़ कर तार व ऐंगल ले गये तथा मेरी फसल को नष्ट कर दिया। प्रकरण धारा 143, 447, 427, 379, 504 आई.पी.सी के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान थाना अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 2528, 2526, 2525, 2508/2, 2507, 2499 का सीमाज्ञान केवल पुलिस कार्यवाही हेतु करवाया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई गौर नही कर विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2022 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही अपीलान्ट द्वारा एक अन्य वाद जगदीश बनाम बिरदूराम व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किये गया था जिसमें मौके की यथास्थिति के आदेश दिये गये थे। यदि अपीलान्ट की कब्जे काश्त की भूमि पर उसी न्यायालय का स्थगन जारी है, तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नही की जा सकती। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2022 निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष खसरा नम्बर जिसके बाबत पत्थरगढी की गई, दूसरे ग्राम में है तथा अपीलान्ट की भूमि ग्राम प्रागपुरा में है। ऐसी स्थिति में जहॉ शरहद का विवाद हो वहॉ भू प्रबन्ध विभाग से ई.डी.एम. व अन्य तकनिकी विधि से सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रक्रिया अपनाये ही राजनैतिक दबाव में आकर जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्ध एवं विधिक रूप से दुषित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा प्रकरण संख्या 9/2022 उनवानी ख्यालीराम बनाम तहसीलदार पावटा व अन्य में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2022 को निरस्त फरमाया जावें व उक्त आदेश की पालना में की गई समस्त अग्रिम कार्यवाहिया प्रभाव शून्य समझी जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं 4 लगायत 8 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2528/1.49 वाके मौजा भूरी भडाज तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आराजी के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं 4 लगायत 8 सम्पूर्ण हिस्से में मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार काबिज है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं 4 लगायत 8 की उक्त भूमि से लगती अन्य भूमि के खातेदार काश्तकार आये दिन ताकत के बल पर रेस्पोडेन्ट की उक्त आराजी की डोल वगैरह तोड़ देते है, फसल नष्ट कर देते है तथा रेस्पोडेनट की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर उतारू थे जो रेस्पोडेन्ट द्वारा समझाने पर भी नही मानते थे और मर–मार पर आमदा थे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की आराजी है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को कोई सम्बन्ध–सरोकार नही है। प्रकरण में अपीलान्ट की कोई लौकस स्टेण्डाई भी नही है। अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट को मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से तथा प्रकरण में देरी करने की गरज से उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो खारिज योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 12.05.2022 को करवाया जा चुका था। जिस पर रेस्पोडेन्ट ने अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी करवाने हेतु तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा ने सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कहा। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा पैरोकार सरकार से जवाब प्राप्त होने के पश्चात् एवं उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद परीक्षणोपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2025 पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावें। फिर भी यदि न्यायालय श्रीमान् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय हेतु निर्देशित करते हुए प्रकरण रिमाण्ड भी किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जिससे विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पडौसी खातेदारों को प्रकरण में बिना पक्षकार बनाये ही प्रार्थना पत्र प्रत्थरगढी प्रस्तुत किया गया है जबकि पत्थरगढी के मामलों में पडौसी खातेदार आवश्यक रूप से प्रभावित होने के कारण उन्हे भी पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2022 पारित किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। साथ ही रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने जाने हेतु अपनी सहमति भी दी है। ऐसी स्थिति में न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के मद्देनजर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।